


**—:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::—**  
**// आदेश //**

क्रमांक 74 / एक-11-2 / 11

उज्जैन, दिनांक 09 / 4 / 2025


कार्यसुविधा की दृष्टि से मैं राजेश कुमार गुप्ता प्रधान जिला न्यायाधीश, उज्जैन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सोनम शर्मा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नागदा के न्यायालय में लंबित समस्त साम्प्रतिक प्रकरणों को उनके न्यायालय से प्रत्याहरित कर विधिवत् निराकरण हेतु श्रीमती भावना जाटवा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नागदा के न्यायालय में अंतरित करता हूँ।

  
(राजेश कुमार गुप्ता)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म.प्र.)

3564-3567  
पृष्ठांकन क्रमांक ..... / एक-11-2 / 11  
प्रतिलिपि :-

उज्जैन, दिनांक 09 / 4 / 2025  
9 APR 2025

1. श्रीमती सोनम शर्मा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नागदा
2. श्रीमती भावना जाटवा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नागदा की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी फाईलिंग अनुविभाग नागदा की ओर सूचनार्थ एवं प्रकरण के अंतरण संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।
4. अध्यक्ष अभिभाषक संघ नागदा की ओर सूचनार्थ।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म.प्र.)